संख्या- 279 /2024/1550/नौ-9-24/001-E-1721372

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 23 दिसंबर, 2024**

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2024-2025 हेतु प्रदेश के Million Plus शहरों के लिये संस्तुत Water Supply, Sanitation एवं SWM मद की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0-185/दस-2024-02/2020, दिनांक-19.12.2024 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 F.15(45)FC-XV/FCD/ 2020-25 दिनांक-18.12.2024 (**छायाप्रति संलग्न**) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत Million Plus शहरों के लिये Water Supply, Sanitation एवं SWM (Solid Waste Management) मद में उपलब्ध/अवशेष धनराशि में से **कुल धनराशि रू0 69052.93 लाख (रू0 छ: अरब नब्बे करोड़ बावन लाख तिरानवे हजार मात्र)** 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों (**नगर निगम, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी**) (Urban Agglomeration) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों को अक्षरशः पालन करते हुये, भारत सरकार के पत्र दिनांक-18.12.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को बिना किसी कटौती के निर्धारित समयान्तर्गत (10 कार्य दिवस के अन्दर) उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त अनुदान का उपभोग स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।

(3) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त उक्त धनराशि का उपभोग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-एफ.15(2) एफसी- XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक-28.07.2021 द्वारा निर्गत Operational Guidelines के प्राविधानों एवं 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2021-2026 के लिये रिपोर्ट के अध्याय-7 (Chapter-7) की संस्तुतियों में उल्लिखित विषय पर ही की जायेगी।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर-7.132 में मिलियन प्लस सिटी के अतिरिक्त अन्य सिटी हेतु धनराशि के वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धनराशि का आंवटन किया जायेगा।

(i) कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) के मध्य पारस्परिक आवंटन (Inter-Se Distribution) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैण्टोनमेन्ट बोर्ड की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(ii) 15 वें वित्त आयोग की धनराशि का निकायों के बीच आंवटन राज्य वित्त आयोग की अद्यतन संस्तुति के आधार पर की जायेगी, जिसमें कैण्टोनमेन्ट बोर्ड को भी सम्मिलित किया गया हो । राज्य वित्त आयोग की किसी विशेष श्रेणी के लिए आवंटन हेतु संस्तुति उपलब्ध न होने की स्थिति में आंवटन वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं क्षेत्र अनुपात 90:10 में की जायेगी।

(iii) उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण करके निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नागर स्थानीय निकायों एवं कैंटोन्मेंट बोर्ड (यदि कोई हो) को उनके द्वारा किसी Scheduled Commercial Bank में 15वें वित्त आयोग हेतु नियमानुसार खोले गये बचत खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

(iv) उक्त धनराशि नागर स्थानीय निकायों एवं कैंटोन्मेंट बोर्ड के 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नियमानुसार खोले गये अलग-अलग बैंक खाते में निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित कराया जाय। उक्त बैंक खाता पी0एफ0एम0एस0 से लिंक होना अनिवार्य है।

(v) उक्त धनराशि कोषागार द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से नागर स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को स्थानान्तरित की जायेगी।

(5) The concerned state(s) should allocate grants to ULBs in Million Plus Urban Agglomerations/cities as mentioned above against each such city in column6. However, Some Non Million Plus Cities and towns may be part of some urban agglomeration, these grants will also be distributed to such ULBs on the basic of accepted recommendations of the latest State Finance Commission (SFC). In case of nonavailability of SFC recommendation for distribution within a particular category, the allocations should be done on the basic of population Census, 2011 and area in ratio of 90:10

(6) In the case of urban agglomerations which contain more than one Million-Plus city, the concerned State Government, in consultation with all such entities within the urban agglomeration, shall entrust on urban local body as the nodal entity to receive the grants. This nodal entity will also have the responsibility of achieving the performance indicators for the entire urban agglomeration.

(7) The States (State Finance Department) shall transfer grants-in-aid directly to all Urban Local Bodies within ten working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond ten working days will require the State Government to release the grant with interest as per the average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.

(8) FC-XV recommended Solid Waste Management grant component Million-Plus Cities Challenge Fund for Million Plus Cities/UAs is intended to be utilized for improving drinking water quality & supply (including rainwater harvesting and recycling), sanitation and achieving star ratings by the urban local bodies in Solid

Waste Management in consonance with the approved City Action Plan (CAP) and commitments made in the tripartite Memorandum of understanding (MoU) signed on the subject.

(9) The water Supply, Sanitation & SWM grants for Million-Plus Cities/UAs will be governed as per the provisions in the Operational Guidelines issued on the subject by the Department of Expenditure vide Letter No. 15(2)FC-XV/FCD/2020-25, dated 28-07-2021 and recommendations contained in chapter-7 of FC-XV Report for the award period 2021-26.

(10) The State Governments/Urban Local Bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Bank Account of each ULB has been opened for FC-XV recommended Water Supply, Sanitation & SWM Grant in any Scheduled Commercial Bank and the same has to be linked with PFMS and maintained for every transaction for the full award period.

(11) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।

(13) इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(14) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

(15) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त, एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाये। दिशा निर्देशों से हट कर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय-

लेखाशीर्ष: 2217808000401 (आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000401 आगरा	20-सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)	78,75,00,000 (रुपये अठहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल		**78,75,00,000 (रुपये अठहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**	

लेखाशीर्ष: 2217808000402 (प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000402 प्रयागराज	20-सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)	42,18,00,000 (रुपये बयालीस करोड़ अठारह लाख मात्र)

	कुल	42,18,00,000 (रुपये बयालीस करोड़ अठारह लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000403 (गाजियाबाद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000403 गाजियाबाद	20-सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)	1,06,50,00,000 (रुपये एक अरब छह करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			1,06,50,00,000 (रुपये एक अरब छह करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000404 (कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000404 कानपुर	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,54,09,93,000 (रुपये एक अरब चौवन करोड़ नौ लाख तिरानबे हजार मात्र)
	कुल			1,54,09,93,000 (रुपये एक अरब चौवन करोड़ नौ लाख तिरानबे हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000405 (लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000405 लखनऊ	20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	1,73,00,00,000 (रुपये एक अरब तिहत्तर करोड़ मात्र)
	कुल			1,73,00,00,000 (रुपये एक अरब तिहत्तर करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000406 (मेरठ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000406 मेरठ	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	85,00,00,000 (रुपये पचासी करोड़ मात्र)
	कुल			85,00,00,000 (रुपये पचासी करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000407 (वाराणसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000407 वाराणसी	20-सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)	51,00,00,000 (रुपये इक्यावन करोड़ मात्र)
	कुल			51,00,00,000 (रुपये इक्यावन करोड़ मात्र)

महायोग	6,90,52,93,000 (रुपये छह अरब नब्बे करोड़ बावन लाख तिरानबे हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-356-X-2024-25 दिनांक:23-12-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 आसिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या२७१ /2024/२५५०(1)/११-९-४/001-E-1721372, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक (एफसीडी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

9550/नौ-9-24

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0-185/दस-2024-02/2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

नगर विकास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं के0स0) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2024

विषय: पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों (Million Plus Cities) हेतु Water Supply, Sanitation and SWM के लिये संस्तुत अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.15(45)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों (Million Plus Cities) हेतु Water Supply, Sanitation and SWM के लिए रू0 710.43 करोड़ अवमुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

2. कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि को पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-12-2024 के प्रस्तर- 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 के अनुसार अवमुक्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक दीक्षित)

पत्र संख्या-एफ0सी0सी0ए0-185(1)/दस-2024-02/2020 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक दीक्षित)

विशेष सचिव

ULB Release No. 46/2024-25

AMOUNT TO BE CREDITED IN THE ACCOUNTS OF THE STATE GOVERNMENTS

F.15(45)FC-XV/FCD/2020-25
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(Finance Commission Division)

Block No. XI,5th Floor,
CGO Complex,
New Delhi-110003.
Dated:-18-12-2024.

To,

The Accounts Officer (State- Loan),
O/o the Chief Controller of Accounts,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi-110001.

Subject:- Release of Urban Local bodies grant (Million Plus Cities) as recommended by the Fifteenth Finance Commission (FC-XV) for meeting the Service Level Benchmarks for Urban Drinking Water Supply, Sanitation and Solid Waste Management (SWM).

Sir,

The undersigned is directed to convey approval of the Competent Authority in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India for release of **Rs. 71043.00 lakh** (Rupees Seven Hundred, Ten Crore and Forty-Three Lakhs only) to the State Government(s) as per details given below;

Grants to Million Plus Cities/agglomeration for SWM*					
State S. No.	Name of State	Total amount of SWM* grant to be released to the State for the year <u>2024-25</u> (Rs. in lakh)	City S. No.	Million Plus Cities agglomeration	MPC UA-wise distribution of SWM* Grant component for the year <u>2024-25</u>. (Rs. in lakh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Uttar Pradesh**	71043.00	1.	**Agra U.A.**	**7875.00**
			2.	**Allahabad U.A.**	**4218.00**
			3.	**Ghaziabad U.A.**	**10650.00**
			4.	**Kanpur U.A.**	**17400.00**
			5.	**Lucknow U.A.**	**17300.00**
			6.	**Meerut U.A.**	**8500.00**
			7	**Varanasi U.A.**	**5100.00**
X	**Total**	**71043.00**	X	**Total**	**71043.00**

(i) *(*)SWM - Water Supply, Sanitation & Solid Waste Management*
(ii) *The MPC UA-wise distribution of SWM Grant is based on the assessment of the Ministry of Housing & Urban Affairs (MOHUA)*

2. The concerned State(s) should allocate grant to ULBs in ***Million-Plus urban agglomerations/cities*** as mentioned above against each such city in column 6. However, Some Non-Million Plus Cities and towns may be part of some urban agglomeration, these grants will also be distributed to such <u>ULBs</u> on the basis of accepted recommendations of the latest State Finance Commission (SFC). In case of non-availability of SFC recommendation for distribution within a particular category, the allocations should be done on the basis of population Census, 2011 and area in the ratio of 90:10.

<u>Contd. on next page</u>.

3. In the case of urban agglomerations which contain more than one Million-Plus city, the concerned State Government, in consultation with all such entities within the urban agglomeration, shall entrust one urban local body as the nodal entity to receive the grants. This nodal entity will also have the responsibility of achieving the performance indicators for the entire urban agglomeration.

4. The State Governments (State Finance Department) shall transfer grants-in-aid directly to the concerned urban local bodies within ten working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond ten working days will require the State Governments to release the grant with interest as per the average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.

5. **FC-XV recommended Solid Waste Management grant component of Million Plus Cities Challenge Fund for Million-Plus cities/UAs is intended to be utilized for improving drinking water quality & supply (including rainwater harvesting and recycling), sanitation and achieving star ratings by the urban local bodies in Solid Waste Management in consonance with the approved City Action Plan (CAP) and commitments made in the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) signed on the subject.**

6. The Water Supply, Sanitation & SWM grant for Million-Plus cities/UAs will be governed as per the provisions in the Operational Guidelines issued on the subject by the Department of Expenditure vide letter No. 15(2)FC-XV/FCD/2020-25, dated 28-7-2021 and recommendations contained in Chapter 7 of FC-XV Report for the award period 2021-26.

7. The State Governments/Urban Local bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Account of each such recipient/ULB has been opened for FC-XV recommended Water Supply, Sanitation & SWM grant in any Scheduled Commercial Bank and the same is linked with PFMS and maintained for every transaction for the full award period.

8. PAO-State Loan, O/o the Chief Controller of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi is requested to advise the Reserve Bank of India, Nagpur to credit the above amount to the accounts of the **respective State Government(s)**.

9. The payments are adjustable in the accounts of the Ministry of Finance in Demand Grant No. **042** - Transfers to State Government(s) **for the year 2024-25** under Function Head 3601071030100, Object Head 31, Scheme code 2085 as Grants for Local Bodies(4.02 Urban Bodies).

18/12/24

(Kandarp Vajubhai Patel)
Deputy Secretary

Copy to:-

Sl. No.	Name
1.	Reserve Bank of India, Central office, Mumbai.
2.	The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi.
3.	The Manager, RBI, Central Accounts Section, Nagpur.
4.	The Budget Division (States Section), DEA, North Block, New Delhi.
5.	The PAO-State loan, Department of Expenditure (DOE).
6.	The Accountant General(A&E), concerned State Government(s).
7.	The Accountant General(Audit), concerned State Government(s).
8.	The Secretary (Finance) and the Secretary(Urban Department), concerned State Govt.(s).
9.	Hindi Section, Department of Expenditure (for Hindi translation)

18/12/24

(Kandarp Vajubhai Patel)
Deputy Secretary